



जनपद शामली पुलिस



--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक-03.05.2025

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 10 लीटर कच्ची शराब बरामद:-

दिनांक 03.05.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार अवैध शराब के अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को अवैध 10 लीटर कच्ची शराब सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. मांगे राम पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम उल्हेनी थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

1. अवैध 10 लीटर कच्ची शराब।



थाना कैराना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम ऊंचागांव में अवैध हथियार से फायरिंग कर जानलेवा हमला करने के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध हथियार व कारतूस बरामद ।

ज्ञात हो कि दिनांक 23.04.2025 को श्री सुन्दर पुत्र स्व0 रकम सिंह निवासी ग्राम ऊंचागाव थाना कैराना जनपद शामली के भाई व भाभी रामपाल, सुदेश पर अभियुक्तगण द्वारा गाली गलौच कर अवैध हथियार से फायरिंग कर जानलेवा हमला व जान से मारने की धमकी देने कि घटना कारित की गयी थी । घटना के सम्बन्ध में थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था । उपरोक्त घटना को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक शामली ने अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना कैराना को निर्देशित किया गया था ।

इसी क्रम में आज दिनांक 03.05.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम ऊंचागाव में गाली गलौच कर अवैध हथियार से फायरिंग कर जानलेवा हमला करने व जान से मारने की धमकी देने के मामले में वांछित अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त अवैध हथियार व कारतूस सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है । गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1.रितिक पुत्र परविन्दर निवासी ग्राम ऊंचागांव थाना कैराना जनपद शामली ।

बरामदगी का विवरण:-

1.घटना में प्रयुक्त एक अदद तमंचा मय एक अदद खोखा व एक जिन्दा कारतूस 12 बोर ।



थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से मोबाईल बरामद:-

ज्ञात हो कि थाना कोतवाली शामली क्षेत्रान्तर्गत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक युवक द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। प्रकरण के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आज दिनांक 03.05.2025 को सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना में लिप्त अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश प्रभारी निरीक्षक कोतवाली शामली को दिये गये थे।

इसी क्रम में आज दिनांक 03.05.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे वारंटी व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी कोतवाली नगर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से एक अदद मोबाईल बरामद हुआ है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. आशु उर्फ अश्वनी पुत्र मांगेराम निवासी मौहल्ला बडीआल थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

1. सैमसंग मोबाईल मॉडल A15



थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार व कारतूस बरामद:-

आज दिनांक 03.05.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी है, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1.भूपेन्द्र पुत्र जितेन्द्र निवासी ग्राम बिरालियान थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

1.एक अदद अवैध तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर।



थाना कोतवाली शामली/झिंझाना पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 02 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार:-

आज दिनांक 03.05.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना कोतवाली शामली/झिंझाना पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 02 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सम्बन्धित थानो पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. रिजवान पुत्र हनीफ निवासी मौहल्ला कलन्दरशाह थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
2. कदम कुमार पुत्र भरतू निवासी ग्राम भड़ी कोरियान थाना झिंझाना जनपद शामली।



उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप ऑपरेशन कन्वक्शन अभियान के अन्तर्गत शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में चोरी के मामले में 03 अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय द्वारा सुनाई 06 वर्ष 10 माह के कारावास की सजा व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

वर्ष 2018 में अभियुक्तगण 1.अनवर उर्फ जोनी पुत्र ताहिर उर्फ जरीन 2.तसलीम उर्फ बल्लू पुत्र ताहिर उर्फ जरीन 3.फिरोज उर्फ दहिया पुत्र उमर मौहम्मद निवासीगण मौहल्ला रेतवाला थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 366/2018 धारा 457/380 भादवि अभियोग पंजीकृत किये गये थे । जिसमें शामली पुलिस द्वारा तत्परता से साक्ष्य संकलन करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था तथा सुसंगत एवं ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था । जिसके क्रम में शामली पुलिस के अथक प्रयास एवं निरंतर प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक 03.05.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएसडी शामली द्वारा उक्त मामले में अभियुक्तगण उपरोक्त को दोषी पाते हुये धारा 457 भादवि में प्रत्येक को 06 वर्ष 10 माह का कारावास व 5,00-5,00/- रुपये अर्थदण्ड व धारा 380 भादवि में प्रत्येक को 06 वर्ष 10 माह का कारावास व 5,00-5,00/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । अर्थदण्ड अदा न करने पर 10-10 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है ।

नाम व पता अभियुक्त:-

- 1.अनवर उर्फ जोनी पुत्र ताहिर उर्फ जरीन निवासी मौहल्ला रेतवाला थाना कैराना जनपद शामली ।
- 2.तसलीम उर्फ बल्लू पुत्र ताहिर उर्फ जरीन निवासी मौहल्ला रेतवाला थाना कैराना जनपद शामली ।
- 3.फिरोज उर्फ दहिया पुत्र उमर मौहम्मद निवासी मौहल्ला रेतवाला थाना कैराना जनपद शामली ।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में सड़क दुर्घटना के मामले में 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई कारावास की सजा व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया:-

1.-वर्ष 2009 में अभियुक्त अमानत पुत्र जहूर निवासी मौहल्ला आलकलां थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 1000/2009 धारा 279/337/338 भादवि पंजीकृत किया गया था । इसी क्रम में आज दिनांक 03.05.2025 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी/जेएम कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषी पाते हुये 2,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है ।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI